न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2020 **दायर तारीख :–** 29-10-2020

1. हनुमान पुत्र परभात गुर्जर जाति गुर्जर निवासी सेवरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **— अपीलार्थी**

बनाम

1. ग्राम पंचायत तेवडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तेवडी पंचायत समिति विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. हल्का पटवारी ग्राम पंचायत तेवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर

—प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेन्ट

1. अमर सिंह
2. कृष्ण
3. मुखराम
4. विकास
5. श्योकरण

पिसरान हनुमान पुत्र प्रभात जाति गुर्जर निवासी सेवरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

6. सुमन पुत्री हनुमान पुत्र प्रभात गुर्जर निवासी सेवरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **—तरतीबी प्रत्यर्थीगण/ रेस्पोडेन्ट**

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 322 दिनांक 05.06.2012

निर्णय ग्राम पंचायत तेवडी पंचायत समिति विराटनगर जिला जयपुर।

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं.1 लगायत 6 पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 03.02.2021

1. अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सेवरा के खसरा नंबर 852/0.46, 858/0.13 हैक्टेयर भूमि की पूर्व में खातेदारी सादया पुत्र बिसना कौम गुर्जर के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। अपीलार्थी ने उक्त खातेदारी भूमि जरिए विक्रय पत्र खरीद किया था, जिसका नामान्तकरण संख्या 19 दिनांक 06.09.1988 दर्ज कर खातेदारी अपीलार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई थी। अपीलार्थी अपनी उक्त दर्ज खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। यह है कि अपीलार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही थी। ग्राम सेवारा में ही एक अन्य व्यक्ति हनुमान पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

प्रभात जाति गुर्जर रहा है, जिसका अपीलार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से कोई संबंध नहीं रहा हैं। यह कि उक्त अन्य व्यक्ति हनुमान पुत्र प्रभात जाति गुर्जर दिनांक 07.03.2012 को फौत हो गया तथा अपीलार्थी के नाम की समानता होने के कारण अपीलार्थी की उक्त भूमि का नामान्तकरण भरकर प्रत्यर्थी संख्या 2 पटवारी हल्का तेवडी ने दिनांक 06.05.2012 को ग्राम पंचायत तेवडी की कोरम में वास्ते तस्दीक पेश किया गया, जिसमें नामान्तकरण कॉलम संख्या 7 में हनुमान पुत्र प्रभात भरकर कॉलम संख्या 9 में तरतीबी प्रत्यर्थीगण को वारिस मानकर उनका नाम दर्ज कर दिया, किन्तु अपीलार्थी जो कि उक्त भूमि का खातेदार रहा है आज भी जीवित एवं स्वस्थ व सकुशल है। तथा अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहा है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है निर्णय ग्राम पंचायत तेवडी गुणावगुण पर या मौके की जांच किये बिना ही किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत को उक्त मृतक हनुमान पुत्र प्रभात की वास्तविक खातेदारी भूमि की जांच कर कब्जे के अनुसार निर्णय देना चाहिए था। इस कारण नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 05.06.2012 द्वारा किए गए निर्णय ग्राम पंचायत तेवडी से पीडित होने पर अपील अपीलार्थी निम्न कारणों से श्रीमान के समक्ष पेश है–

(1). यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 05.06.2012 को दिया है वह गुणावगुण पर आधारित नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

(2). यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से निर्णय नामान्तकरण दिया है, जिसकी तस्दीक के वक्त अपीलार्थी को कोई सुनवाई का लिखित या मौखिक सूचना नोटिस नहीं दिया गया। उनको बिना सुने उनके पीछे से निर्णय दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है।

(3). यह है कि अपीलार्थी अपनी खातेदारी भूमि में बदस्तूर बिना किसी बाधा के उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। हनुमान पुत्र प्रभात जो कि तरतीबी प्रत्यर्थीगण का पूर्वज है की फौतगी पर नाम की समानता होने के आधार पर ही उक्त नामान्तकरण भरा जाकर तस्दीक के लिए तत्कालीन सरपंच के समक्ष पेश किया गया था, जिसे मनमाने ढंग से सरपंच ग्राम पंचायत तेवडी ने बिना युक्तियुक्त कारण के तस्दीक कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना उक्त भूमि का मौका निरीक्षण किये व बिना कब्जा की जानकारी किये ही व अपीलार्थी व तरतीबी प्रत्यर्थीगण के पिता के नाम की समानता की जानकारी रखते हुए ही बिना अपीलार्थी को सुने एवं जांच पडताल किये बिना ही अपना निर्णय किया जो नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 05.06.2012 तस्दीक किया, जो कि स्पोकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आने से खाजिर किये जाने योग्य है।

(4). यह है कि अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का एवं कम पढा लिखा कृषि पेशा आय वर्ग का व्यक्ति है, जो कानूनी ज्ञान नहीं रखत है। इस कारण उसका जानकारी में यह तथ्य नहीं आया है कि अपनी खातेदारी भूमि का उसके

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (जयपुर)

जीवनकाल में ही नामान्तकरण ग्राम पंचायत तेवडी ने तरतीबी प्रत्यर्थीगण के नाम तस्दीक कर दिया है।

अतः निवेदन है कि खसरा नंबर 852/0.46, 858/0.13 हैक्टेयर वाके ग्राम सेवरा पटवार हल्का तेवडी के नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 05.06.2012 को निरस्त फरमाया जाकर अपील मंजूर फरमायी जावें तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 को यह आदेश दिया जावे कि अपीलार्थी के नाम पूर्व ही भांति खातेदारी दर्ज की जावें।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 को सम्यक तामील हुई है तथा बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. अपीलार्थी ने अपनी अपील प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल हाल जमाबंदी खाता संख्या 3 ग्रम सेवरा संवत् 2074–2077, नकल नामान्तरण संख्या 322 दिनांक 05.06.2012 ग्रम सेवरा, नकल हाल जमाबंदी खाता संख्या 192 ग्रम सेवरा संवत् 2066–2069, नकल जमाबंदी खतौनी ग्राम सेवरा संवत् 2054–2057,नकल रजिस्टर ग्राम सेवरा नामान्तकरण संख्या 43, नकल खतौनी जमाबंदी ग्राम सेवरा संवत् 2046–2049, नकल नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम सेवरा नामान्तकरण संख्या 19 आदि पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम सेवरा के खाता संख्या 3 में दर्ज खसरा नंबर 852/0.46, 858/0.13 हैक्टेयर भूमि तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–2077 है। यह है कि वाके ग्राम सेवरा के खाता संख्या 3 में दर्ज खसरा नंबर 852/0.46, 858/0.13 हैक्टेयर की खातेदारी पूर्व से ही तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वज हनुमान पुत्र प्रभात के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। यह है कि उक्त खातेदारी भूमि की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 05.06.2012 के द्वारा हनुमान पुत्र प्रभात को फोत दिखाकर विरासत का नामान्तकरण के जरिये तरतीबी रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 के नाम दर्ज कर दी, बल्कि तरतीबी रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 के नाम जिस व्यक्ति अर्थात उनके पूर्वज हनुमान पुत्र प्रभात से विरासत की खातेदारी आई है वह अभी जीवित है। प्रकरण में तरतीबी रेस्पोडेन्ट सूचना बावजूद उपस्थित भी नहीं आए, जिससे भी यह साबित होता है कि तरतीबी रेस्पोडेन्ट, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित सभी बिन्दुओं से सहमत है तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी साबित करने हेतू उपस्थित नहीं आए कि हनुमान पुत्र प्रभात के फौत उपरान्त ही उनके विरासत के आधार पर यह खातेदारी भूमि आई है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि खसरा नंबर 852/0.46, 858/0.13 हैक्टेयर की खातेदारी सहवन से तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज खातेदारी आई

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

है, क्योंकि तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 का पूर्वज हनुमान पुत्र प्रभात अभी जीवित है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

6. अपीलार्थी ने अपने अपील प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद मानते हुए धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत तेवड़ी के नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 05.06.2012 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि खसरा नंबर 852/0.46, 858/0.12 हैक्टेयर के खातेदार की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही कर खातेदारी दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी • विराटनगर (जयपुर) •